PUN.CAB.APTP.No.S54109-06-002/2025-2026 30 जुलाई, 2025

क्षेत्रीय निदेशक / प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक (ओ-आई-सी)
भारतीय रिजर्व बैंक
वित्तीय समावेशन एवं विकास विभाग
केंद्रीय एवं क्षेत्रीय कार्यालय

महोदया / महोदय,

वित्तीय समावेशन, वित्तीय साक्षरता, उपभोक्ता संरक्षण और एमएसएमई पर कार्यक्रम
(08 से 12 सितंबर, 2025)

भारतीय रिज़र्व बैंक, सीएबी, पुणे 08 से 12 सितंबर, 2025 तक सीएबी परिसर, पुणे में FIDD (CO और RO) में कार्यरत आरबीआई अधिकारियों के लिए "वित्तीय समावेशन, वित्तीय साक्षरता, उपभोक्ता संरक्षण और एमएसएमई पर कार्यक्रम" आयोजित कर रहा है।

2. कार्यक्रम के उद्देश्य:

- वित्तीय समावेशन, वित्तीय साक्षरता, एमएसएमई, उपभोक्ता संरक्षण और बैंकिंग क्षेत्र के लिए शिकायत निवारण तंत्र पर विभिन्न पहलों के बारे में जानकारी साझा करना।
- वंचित और कम सुविधा प्राप्त वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योग्यता का निर्माण करना।
- वित्तीय साक्षरता के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने में कौशल बढ़ाना।

4. स्थान और आवास: कार्यक्रम आवासीय है। ठहरने और खाने की व्यवस्था सीएबी परिसर में की जाएगी। प्रतिभागी 07 सितंबर, 2025 की शाम को सीएबी में रिपोर्ट कर सकते हैं और कार्यक्रम 12 सितंबर, 2025 को शाम 5:30 बजे समाप्त होगा। कृपया ध्यान दें कि ओवरस्टे और अतिथि के साथ आने की अनुमति नहीं है।

5. पाठ्यक्रम सामग्री: कार्यक्रम की व्यापक पाठ्यक्रम सामग्री अनुबंध में दी गई है।

6. हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस कार्यक्रम के लिए FIDD के अधिकारियों को नामित करें। नामांकन **29 अगस्त 2025** को या उससे पहले nomination.ami@rbi.org.in पर भेजे जा सकते हैं। **कृपया ध्यान दें कि नामांकन first-come-first-served (FCFS) के आधार पर स्वीकार किए जाएंगे क्योंकि सीटें सीमित हैं।**

7. नामांकन संबंधी पूछताछ के लिए, आप नामांकन डेस्क (श्री प्रथमेश पाटील- टेलीफोन नंबर 020 2558 2396/020-2558 1112) से संपर्क कर सकते हैं या ई-मेल के माध्यम से **nomination.ami@rbi.org.in** पर संपर्क कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तिथियां	
कार्यक्रम तिथियां	08 से 12 सितंबर, 2025
नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि	29 अगस्त 2025
CAB में रिपोर्टिंग	07 सितंबर 2025 शाम को
कार्यक्रम का समापन	12 सितंबर 2025 को शाम 05.30 बजे

सादर

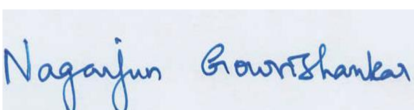

(नागार्जुन गौरीशंकर)
सहायक महाप्रबंधक
कार्यक्रम निदेशक
Contact: 020-25582328
Email ID- gnagarjun@rbi.org.in

Encl.: As above

अनुबंध

Broad Course Contents

- **Module I – Financial Inclusion – Overview**
  - Financial Inclusion Architecture in India
  - National Strategy for Financial Inclusion
  - Global Perspectives on Financial Inclusion
- **Module II – Financial Literacy – Content and Dissemination**
  - National Strategy for Financial Education
  - Financial Awareness Messages (FAME)
  - Tailored content for specific target groups
  - Conduct of Financial Literacy Camps – Approaches
- **Module III – Use of Technology in Financial Inclusion**
  - Innovations in Payment and Settlement Systems: Various payment products for financial inclusion
  - Role of business correspondents in furthering financial inclusion
  - Role of FinTech in Inclusive finance
- **Module IV – Financing of MSMEs**
  - RBI guidelines on lending to MSMEs
  - Government of India initiatives on MSME sector
  - Cluster approach for financing micro & small enterprises
  - Alternative tech-driven approaches to financing MSMEs
  - FinTech & P2P lending, TReDS and its functioning
- **Module V - Consumer Education & Protection - Recent Initiatives & Guidelines of RBI**
  - "One Nation, One Ombudsman" - Integration of Ombudsman Schemes
  - Strengthening of consumer grievance redressal system in banks.
  - Framework on Limiting the Liability of Customers in Unauthorised Electronic Banking Transactions
  - Harmonisation of TAT and Customer Compensation
  - Complaint Management System
- **Module VI – Soft skills**
  - Imparting soft skills - effective communication with MSME clients
  - Need of emotional intelligence to deal with MSME entrepreneurs

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 1969 में ग्रामीण और सहकारी बैंकिंग में प्रशिक्षण इनपुट प्रदान करने के लिए कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी) की स्थापना की गई। इसके बाद, भारतीय वित्तीय क्षेत्र की बदलती अपेक्षाओं को ध्यान में रखे हुए, महाविद्यालय द्वारा कृषि बैंकिंग, एमएसएमई वित्तपोषण, वित्तीय समावेशन और साक्षरता, मानव संसाधन और नेतृत्व आदि जैसे अन्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अपने दायरे का विस्तार किया गया। अकादमिक वर्ष 2021 से महाविद्यालय द्वारा चार फोकस एरिया (4C) यथा कॉर्पोरेट गवर्नेंस, साइबर सुरक्षा, उपभोक्ता संरक्षण और अनुपालन प्रबंधन की पहचान की गई हैं ताकि वित्तीय प्रणाली में मजबूती प्रदान करने और सेवा मानकों में वृद्धि करने के लिए बैंकरों तथा फाइनेंशियल प्रोफेशनलों की क्षमता निर्माण की जा सके। महाविद्यालय द्वारा विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से कार्यक्रमों और अनुसंधान सम्मेलनों का भी आयोजन किया जाता है। इसी के साथ, महाविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के लिए उनकी आवश्यकतानुसार कस्टमाइज प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

वर्ष 2015 से एमएसएमई वित्तपोषण के क्षेत्र में विशेषीकृत नैमकैब कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए नोडल संस्थान के रूप में नामित किए जाने के साथ ही वर्ष 2021 में मिशन 'अवतु' के अंतर्गत साइबर सुरक्षा पर शहरी सहकारी बैंकों के विभिन्न स्टेकहोल्डरों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए महाविद्यालय को 'नोडल संस्थान' के रूप में नामित किया गया।